जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कमांकः जविप्रा/स.स./बीपीसी/2009/डी–542 दिनांकः 21/4/09

विषयः— भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 76 वी बैठक दिनांक 13.04.2009 को प्रातः 10:00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमे निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विवरण	निर्णय	अनुपालना
1.	76.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 75 वीं, बैठक दिनांक 26.03.2009 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के कियान्विती की समीक्षा।	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 75 वीं बैठक दिनांक 26.03.2009 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण में एजेण्डा संख्या 75.3 में साईड के सैटबैक 4.5 मीटर स्थल मानचित्र में अंकित अनुसार ही रखे जावें व एजेण्डा संख्या 75.10 में ऊँचाई 15 मीटर से कम प्रस्तावित की गई है एवं सहवन से एजेण्डा में 15.91 मीटर अंकित की गई है अतः कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 2 से 4 को विलोपित किया जावे। शेष कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं कियान्विति समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।	
2.	76.2	खसरा नम्बर 103, 102/433, ग्राम झालाणा मालवीय राष्ट्रीय तकनीक संस्थान के सामने जे.एल. एन. मार्ग पर व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक को भवन मानचित्र अनुमोदित कर दिनांक 03.06.2008 को जारी किये जा चुके हैं प्रस्तुत संशोधन में पूर्व में प्रथम तल पर अनुमोदित दुकानों के स्थान पर होटल व उससे संबंधित गतिविधियां प्रस्तावित है। प्रथम तल के ऊँपर प्रस्ताव पूर्ववत यथावत है भवन मानचित्र पूर्व में ही अनुमोदित होने के कारण पार्किंग पुराने विनियमो के तहत ही रखी जावें। संशोधित मानचित्रों के क्रम में अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र लिया जावे। उपरोक्त शर्तो की पूर्ति किये जाने पर संशोधित मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।	
3.	76.3	खसरा नम्बर 331, 333 से 355, 335/367, 355/368,	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। संस्था द्वारा पूर्व में प्रस्तावित	

		ग्राम गोपालपुरा जयपुर में रूकमणी बिरला मोर्डन हाई स्कूल के प्रस्तावित मल्टीप्लेक्स हॉल के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	ऑडिटोरियम के स्थान पर मल्टी परपज हॉल प्रस्तावित किया गया है उपायुक्त जोन द्वारा अवगत करवाया गया कि आवंटन शर्त संख्या 6 में यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि स्कूल व हॉस्पीटल का निर्माण आवंटन दिनांक से 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जाना था। शर्त संख्या 7 में उल्लेख थां कि निर्धारित समय सीमा के अनुसार भूमि का उपयोग नहीं किया गया तो भूखण्ड व उस पर बने अधूर भवन को अधिग्रहित कर लिया जायेगा व उसका कोई मुआवजा देय नहीं होगा। इसी प्रकार शर्त संख्या 8 की पालना नहीं हो रही है। संस्था के सीवरेज चार्जेज भी बकाया है जो संस्था द्वारा जमा नहीं करवाये गये हैं। संस्था के प्रतिनिधि को भी सुना गया उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि हॉस्पीटल भवन का निर्माण भी मौके पर किया गया है अतः मौके पर हॉस्पीटल भवन का कितना निर्माण किया गया है इसकी जांच की जावे। उसके उपरान्त जोन द्वारा आवंटन की शर्तो के अनुकम में राज्य सरकार को प्रकरण में आवंटन की शर्तों हेतु मार्गदर्शन लिये जाने हेतु प्रेषित किया जावे।	
4.	76.4	खसरा नम्बर 363, (नया खसरा नम्बर 487, 488 व 490) ग्राम गोपालपुरा जयपुर में आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भवन विनियमों में पार्किंग हेतु संशोधित प्रावधान अनुसार पार्किंग प्रस्तावित करवाते हुए संशोधित मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।	
5.	76.5	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या ए-22 व ए-23 हनुमान नगर जयपुर के व्यावसायिक भवन के प्रस्तावित मानचित्र अनुमोदन बाबत्	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया एवं आवेदक के प्रतिनिधि श्री महेन्द्र सिंह को भी सुना जाकर निर्णय लिया गया आवेदक द्वारा व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन हेतु दिनांक 24.09.2008 को प्रस्तुत किये गये थे अतः पूर्व नियमों का लाभ इस प्रकरण में नहीं दिया जा सकता है। अतः नए नियमों के तहत संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करें।	
6.	76.6	खसरा नम्बर 66/345, 66	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया	

		से 72, व 79 ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर अजमेर रोड, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय योजना "माई हवेली" के संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत्	गया। समिति ने प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।	
7.-	76.7	महिमा डिजायर खसरा 1020, 1021, 1022, 1024, 1025 / 1112 ग्राम जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा तहसील सांगानेर, जयपुर में ग्रुप हाउसिंग के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति ने प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।	

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

21/4/09

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति(बीपी),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 76 वीं बैठक दिनांक 13.04.2009 को प्रातः 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1. श्री उमेश कुमार, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। — अध्यक्ष
2. श्री पी. के. पाण्डेय, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर — सदस्य
3. श्रीमती मालिनी अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, जविप्रा, जयपुर — सदस्य
4. श्री नारायण लाल मीणा, अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर — सदस्य
5. श्रीमति सीमा सिंह, अति. आयुक्त (पश्चिम), जविप्रा, जयपुर — सदस्य
6. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) जविप्रा,जयपुर — सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित :–

1. श्री हनुमानमल ढाका, उपायुक्त जोन–5, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री बाबूलाल गोयल, उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री नीरज तिवाड़ी, उप नगर नियोजक बीपीसी(बीपी)जविप्रा, जयपुर।

21/4/09
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा/स.स./बीपीसी/2009/डी-542 दिनांक : 21/4/09

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त, पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि, जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन–............., जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

21/4/09.
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।